भिनाय
30/7/2025

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बबली बनाम पीर मौहम्मद वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2017/00030 श्री शिव प्रकाश श्री मंगलाराम 4A 4,5 न. 3	

बबली बनाम पीर मौहम्मद वगैरह

27.6.19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02,03 उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील में दिनांक 12.06.2019 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने अपनी ओर से पैरवी करने लिए श्री सांवरलाल जाट अभिभाषक को नियुक्त किया हुआ था व प्रार्थीगण द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने प्रार्थीगण को आश्वस्त किया हुआ था कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की आने की कोई आवश्यकता नही है व प्रार्थीगण अपने अभिभाषक के आश्वासन पर थे परन्तु प्रार्थीगण के अभिभाषक ने दिनांक 29.09.2016 की कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी गई। जब प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से अपने प्रकरण के अभिभाषक ने उपरोक्त निर्णय दिनांक 29.09.2016 के बाबत् बताया इस प्रकार सर्वप्रथम प्रार्थीगण को उपरोक्त गैर कानूनी आदेश दिनांक 29.92016 की जानकारी दिनांक 13.12.2016 को ही नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 14.12.2016 को प्रार्थीगण को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण ग्रामिण परिवेश के होने से अपने कृषि कार्य में व्यस्थ हो गये व उसके पश्चात बिना विलम्ब किये प्रार्थीगण ने फीस आदि की व्यवस्था कर दिनांक 24.01.2017 को उपरोक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत् किसी भी व्यक्ति की अधिकारों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता व मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि लिमिटेंशन एक्ट प्रोसिजर लॉ अर्थात प्रोसिजर के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता व न ही तकनीकी आधार पर किसी प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मुतनाजा पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का संयुक्त हित निहित है व जब तक उपरोक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हो जाता तब तक विवादित भूमि को वाद के विचाराधीन रहते प्रोटेक्ट किया जाना मेण्डेटरी है परन्तु वैधानिक बिन्दू को नजर अन्दाज करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 को निरस्त फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें कि वे आराजी मुतनाजा को किसी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था इसलिए यह कहना कि उक्त आदेश की जानकारी उनको नहीं थी यह कथन गलत है। अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण जो बताये गये हैं वह मिथ्या व गलत है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम खारिज किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील की बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2015 को एक तरफा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी तथा दिनांक 29.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर पूर्व अन्तरिम अस्थायी

27/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2017/00030 श्री ... श्री ...	

निषेधाज्ञा दिनांक 27.10.2015 को आगे बढ़ाया जाना उचित प्रतीत नहीं माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अभिभाषक अपीलांट ने अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है तथा मियाद बाहर पेश की गई है। इसलिए प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के अन्तरिम आदेश दिनांक 29.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एवं पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देतें हुए इस आदेश से 30 दिवस में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करें।

सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देतें हुए इस आदेश से 30 दिवस में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण करे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर